

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

पीठारसीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 113/2024 प्रार्थनापत्र

1. भैरू लाल पुत्र श्री नानूराम सालवी आयु वयस्क निवासी- कागनी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज0) — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन
2. परोकार सरकार

—अधिवक्ता प्रार्थी

—उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक-08/09/2025

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद चांदरास पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी नम्बर 3015/2842 रकबा 0.0221 हैक्टर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता चांदरास से बागोर आम रोड आराजी नम्बर 424/1 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 3001/424 की पूर्वी मेड के सहारे से होकर होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 3015/2842 मे आता जाता जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेडा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेडा

इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज वैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद चांदरास पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3015/2842 रकबा 0.0221 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 3001/424 विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नम्बर 3015/2842 से विपक्षी की आराजी नम्बर 3001/424 जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप मे 0.0084 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी की आराजी नम्बर 3015/2842 रकबा 0.0221 हैक्टयर मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 3001/424 मे 30 फीट चौड़ाई मे रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद चांदरास पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3015/2842 रकबा 0.0221 हैक्टयर मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 3001/424 रकबा 0.0750 हैक्टयर मे से 30 फीट चौड़ाई के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0084 हैक्टयर बनता है, जिसकी हैक्टयर मे गणना कर रास्ते की भूमि की डी. एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बागोर आम रोड़ आराजी नम्बर 424/1 से होकर विपक्षी की वि
आराजी नम्बर 3001/424 की पूर्वी मेड़ के सहारे होकर